International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

Madhyamik Adhyapako ki Samaveshi Shiksha ke prati Abhivratti ka Adhyyan

Mrs. Swati Jain
Assistant Professor
Arihant College
Indore (M.P.)

Ms. Ekta Chouhan
M.Ed student
Arihant College
Indore (M.P.)

समाज क पत्यक तबक क समुचित विकास क लिए विभिन्न शक्षिक याजनाआ क साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताआ का ध्यान में रखत हुए वतमान समय में समावशी शिक्षा की तरफ गम्भीरता स ध्यान दिया जा रहा ह। एस में यह एक महत्वपूण सामाजिक उत्तरदायित्व ह कि हाशिए पर पड हुए बच्चा की शिक्षा क पति अध्यापका का दृष्टिकाण कसा ह ? क्याकि अगर अध्यापका का समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति सामान्य हागी ता 'सबक लिए शिक्षा' क लक्ष्य का सफल बनाया जा सकता ह। इस अनुसधान का मुख्य लक्ष्य माध्यमिक वि4ालया क अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति का अध्ययन करना ह। पस्तुत शाध अध्ययन में सवक्षण विधि का उपयाग किया गया ह। इस शाध काय में मध्यपदश क इन्दार नगर जिल क मालव शिशु विहार माध्यमिक वि4ालय स कुल एक सा बीस महिला व पुरूष अध्यापका का यादृच्छिक विधि स चुना गया। पस्तुत शाध समस्या क अध्ययन हतु मापन उपकरण क रूप में डा. विशाल सूद आर डा. आरती सूद द्वारा निर्मित समावशी शिक्षा क पति अध्यापका की अभिवृत्ति मापनी का उपयाग किया गया ह। आंकडा क विश्लषण क लिए मध्यमान, मानक विचलन व टीदृपरीक्षण का उपयाग किया गया। शाध क परिणामा क आधार पर यह निष्कष निकलता ह कि अधिकतर माध्यमिक वि4ालय क अध्यापकका की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति सामान्य स ऊपर अनुकूल आर अत्यधिक अनुकूल है।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों को निखारती है फलस्वरूप वह अपनी समस्याओं का समाधान करता है, जीवन को आनन्दमय बनाता है, जनकल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है तथा समाज में स्वयं को प्रभावशाली ढंग से समायोजित करता है। प्रारम्भ से ही समाज में कुछ लोगों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण उन्होंने अधिकारों व सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाया। परन्तु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जैसे दृष्टिबाधित बालकों, महिलाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित समूह के लोग अधिकारों व सुविधाओं के अभाव में शिक्षा सहित अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया हो, वे अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाये, अतरू वह दूसरों पर निर्भर रहने लगे, हीन भावना का शिकार होने लगे और उनका जीवन निराशा से भर गया।

प्रारम्भ में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। परन्तु उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए यह आवश्यकता सामने आयी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षित किया जाय क्योंकि जो बालक एक साथ पढ़ते हैं वह एक साथ रहना भी सीखते हैं (सलमान का कथन, 1994)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की विचारधारा उत्पन्न हुई।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक की चाहे वो विशेष हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ सीखने/सिखने की जरूरतों को पूरा किया जाए। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्यालय सभी बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई व अन्य परिस्थितियों को

ध्यान में रखते हुए, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह व्यवस्था दिव्यांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, गलियों या सड़कों पर रहने वाले बालक, काम करने वाले बालक, दूरस्थ या खानाबदोश आबादी के बालक, जातीय, भाषायी या संस्कृति अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर या हाशिए पर आए बालक

या समूह को शामिल करती है (विश्व शिक्षा मंच, 2000)। समावेशी शिक्षा एक विकासात्मक उपागम है जो सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सिद्धान्त पर कार्य करती है। समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमान्त समूहों को ध्यान में रखते हुए

यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है।

समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है (यूनेस्को, 2008)। यह सभी बालकों, युवाओं एवं वयस्कों, जो कि उपेक्षा एवं बहिष्कार के कारण अतिसंवेदनशील हैं, की अधिगम आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देती है (यूनेस्को 2003)।

अतः समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जहां विद्यालय अपने संसाधनों का इस प्रकार विस्तार करता है कि सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशन के लिए समाज व अभिभावकों का सहयोग भी अति आवश्यक है, ताकि शैक्षिक व सामाजिक समावेश को एक साथ विकसित

किया जा सके। हालांकि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों प्रशासकों, अभिभावकों आदि का नजरिया काफी सकारात्मक हुआ है। परन्तु फिर भी इस

क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने लगा है। इसी क्रम में भारत ने भी इस नीति को अपनाने पर जोर दिया।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट होने के पहले से ही भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षादृदीक्षा विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष वि4ालयों में विशेष शैक्षिक गतिविधियों और पाठयक्रम के द्वारा दी जा रही है। शिक्षण की यह पणाली विशेष शिक्षा कहलाती है। फिर उसके बाद सुधार स्वरूप एकीकृत शिक्षा पणाली की धारणा सामने आयी, जहां पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पतिदिन कुछ समय सामान्य वि4ालयों में बिताने का अवसर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा, विशेष एवं सामान्य शिक्षा में मूलभूत सुधार की कल्पना है, जिसके अन्तर्गत पाठयचर्या, शिक्षण पद्धति व मूल्यांकन में लचीलापन, बाधारहित वि4ालयीय वातावरण और मातादृपिता व समुदाय का सहयोग सम्मिलित है।

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षा प्रणाली जैसेदृ विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, और सामान्य शिक्षा के बीच के अंतर को न केवल दूर करती है अभी तो यह हमारी शिक्षा पद्धति में बहिष्कार और भेदभाव की समस्या को भी खत्म करती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता असक्षम बालों को में व्याप्त हीनता कुंठा की समाप्ति के लिए भी है प्रायः समाज में अक्षम एवं दिव्यांग बालकों के प्रति दीनता का भाव रखा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे बालकों को अपनी शक्ति व सामर्थ्य का बोध कराया जाना चाहिए जिससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा। उनको यह बोध कराया जाना चाहिए कि वह भी सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बाधित बालकों को अनुकूल वातावरण में सार्थक शिक्षा प्रदान करने से है ताकि बालकों को का समुचित विकास हो और वे जीवनमार्ग पर सफल हो सकें। वि4ालयों में समावेशी शिक्षा को पभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समावेशी शिक्षा के पति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले अध्यापक ही समावेशन के लक्ष्य को पाप्त करने में मदद

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

कर सकत ह (कालिता, 2017)। जहां तक समावेशी शिक्षा क पति अध्यापकां क ज्ञान का पश्न ह, व इससस सम्बन्धित सरकारी नीतियां और यांजनाओं क बारे में अस्पष्ट जानकारी रखत हं। वि4ालय क शिक्षकां का विभिनन पकार की अक्षमताओं क बारे में भी ठीक स ज्ञान नही ह तथा समावेशी शिक्षा का समपाययय भी उन्ह स्पष्ट नही ह (बलापरकर व पाठक 2008)। भारत में समावेशी शिक्षा क पति और अधिक सवदनशीलता तथा इससस सम्बन्धित तकनीकी की महती आवश्यकता ह। शिक्षा क अधिकार का वास्तविक रूप में सफल बनान हत यह आवश्यक ह कि शिक्षा का समावेशी पकृति का बनाया जाए। कक्षादृकक्ष क वातावरण में सधार तथा अक्षम बच्चां क लिए पयाप्त तकनीकी व्यवस्था समावशन क लिए पव आवश्यकताए ह (शमा व चनावाला, 2009)। भारत में समावेशी शिक्षा का लाग करन में अनक बाधाओं और चनातिया का सामना करना पड रहा ह। परन्त इस हत पयास अनवरत जारी ह, क्यांकि इससस मिलन वाल लाभ ज्यादा महत्वपण ह। आज शिक्षा, राजगार तथा सामाजिक सरक्षा क साथदृसाथ अन्य

क्षेत्रां में भी सधर करन की आवश्यकता ह। साक्षर भारत क लक्ष्य का पाप्त करन क लिए सभी वगां क लागां का शिक्षा की मख्यधारा स जाडन क लिए शिक्षा में समावशन आज की महती आवश्यकता ह (सिह एव नामदव, 2014)।

अगर सामान्य बालक और विशष आवश्यकता वाल बालक एक साथ शिक्षा पाप्त करंग ता उनमं 'णा एव द्वष की भावना समाप्त हागी और एक साथ पढन स उनमं एक साथ रखन की भावना का विकास हागा। एस में समावेशी शिक्षा का राष्टीय अध्यापक शिक्षा पाठयचया रूपरख, 2014 में मख्य विषय क

रूप में सम्मिलित किया गया ह। ताकि समावेशी शिक्षा क पति भावी अध्यापकां में सकारात्मक अभिवत्ति का विकसित किया जा सक सफलता का सत्रधार ह। अतरू समावेशी शिक्षा क पति उनकी अभिवत्ति जानना अति आवश्यक ह। चकि समावेशी शिक्षा मख्यतरू आधारभत शिक्षा स सम्बन्धित है, इसलिए इस शधदृपत्र

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

में माध्यमिक वि4ालयों के अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण रूप

माध्यमिक अध्यापक दृ कक्षा 6 वीं स 8 वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को माध्यमिक अध्यापक कहते है।

समावेशी शिक्षा दृ समावेशी शिक्षा स आशय उस शिक्षा व्यवस्था स है जिसके अन्तर्गत सामान्य और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को एक सामान्य वि4ालय की सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात वि4ालय बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने संसाधनों का विस्तार करता है ताकि हर बच्चे की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अभिवृत्ति दृ साधारण अर्थ में अभिवृत्ति व्यक्ति के मन की एक दशा होती है, जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति विचार एवं मनोभाव को प्रकट करता है।

अध्ययन के उद्देश्य रूप

- माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- महिला व पुरूष माध्यमिक अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी व निजी वि4ालयों के माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी तथा निजी वि4ालयों की मजिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

- सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना रूप

- महिला तथा पुरुष माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि रूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। इस शोध कार्य में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर शहर के साठ माध्यमिक विद्यालयों, जिसमें तीस सरकारी तथा तीस निजी विद्यालयों का यादृच्छिक विधि से प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु मापन उपकरण के रूप में डॉ. विशाल सूद और डॉ. आरती सूद द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति मापनी का उपयोग

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

किया गया है जिसमें कुल सत्तालिस वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्नों की प्रकृति समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों के साच, विचार एवं उनके व्यवहार से सम्बन्धित है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन व टीदृ परीक्षण का उपयोग किया गया।

सारणी क्रमांक दृ 1 रू माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्रतिशत रू

क्रं.	वर्गीकरण	स्कोर	अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों का प्रतिशत
1.	अत्यन्त अनुकूल अभिवृत्ति	116.141	10	15.83:
2.	अत्यधिक अनुकूल अभिवृत्ति	110.126	40	43.33:
3.	सामान्य से ऊपर अनुकूल अभिवृत्ति	108.115	20	29.17:
4.	सामान्य अभिवृत्ति	50.104	10	10.83:
5.	सामान्य से नीचे प्रतिकूल अभिवृत्ति	60.89	1	0.83:
6.	अत्यधिक प्रतिकूल अभिवृत्ति	59.79	0	0:
7.	अत्यत प्रतिकूल अभिवृत्ति	50 से कम	0	0:
	कुल		81	100:

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

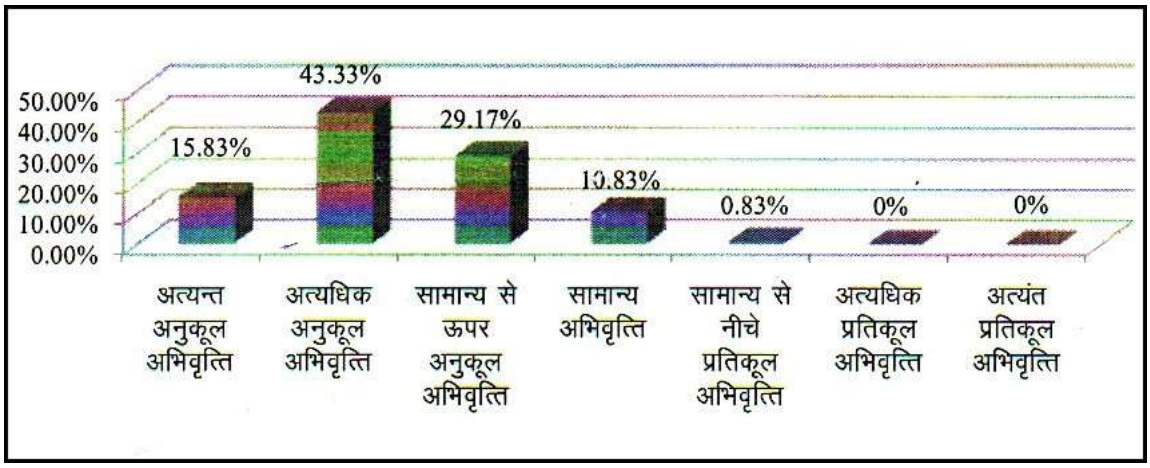

आरेख सख्या दृ 1 माध्यमिक अध्यापकां की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति का पतिशत

सारणी क्र. 1 व आरेख सख्या 1 माध्यमिक अध्यापकां की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति के विभिन्न स्तर का वर्णन करती है। जिसम अत्यन्त अनकल अभिवृत्ति के 15.83 पतिशत, अयधिक अनकल अभिवृत्ति के 43.33 पतिशत, सामान्य स ऊपर अनकल अभिवृत्ति के 29.17 पतिशत, सामान्य अभिवृत्ति के 10. 83 पतिशत तथा सामान्य स नीचे पतिकल अभिवृत्ति के 0.83 पतिशत अध्यापक ह। हालांकि अत्यधिक पतिकल व अत्यत पतिकल अभिवृत्ति किसी अध्यापक में नहीं पाइ गइ। इसका अभिपाय यह ह कि अधिकतम अध्यापकां की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति सामान्य व ससस अच्छी है।

परिकल्पना परीक्षण रू

परिकल्पना दृ 1 रू महिला तथा परूष माध्यमिक अध्यापकां की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति मे कोइ सार्थक अतर नहीं है।

सारकी क्रमांक दृ 2 रू महिला तथा परूष माध्यमिक की समावेशी शिक्षा अध्यापकां के पति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनपात

पतिदश आधार	पतिदश सख्या	मध्यमान	मानक विचलन (क)	टी.अनपात
महिला	40	100	10.19	2.03'
परूष	40	101	11.13	

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

सार्थकता स्तर 0.05 पर

सारणी क्रमांक 2 स स्पष्ट है कि महिला माध्यमिक अध्यापका का मध्यमान 100.17 तथा मानक विचलन 10.19 ह और परूष माध्यमिक अध्यापका का मध्यमान 101.22 तथा मानक विचलन 11.13 ह। टी.परीक्षण स पाप्त टी.अनपात 2.03 ह, जा 0.05 क सथकता स्तर क अनपात 1.98 स अधिक ह। अतरू शून्य परिकल्पना महिला तथा परूष माध्यमिक अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवत्ति में काइ सथक अतर नहीं हैं, निरस्त की जाती ह।

इस परिकल्पना का विश्लषण करक यह पाया गया कि महिला तथा परूष माध्यमिक अध्यापाका की समावशी शिक्षा क पति अभिवत्ति में अतर है। शाध में पाया गया कि परूष माध्यमिक अध्यापका की तलना में महिला माध्यमिक अध्यापका की समावश शिक्षा क पति अभिवत्ति अच्छी है।

परिकल्पना दृ 2 रू सरकारी तथा निजी वि4ालया क माध्यमिक अध्यापका की समावश शिक्षा क पति अभिवत्ति में काइ सथक अतर नहीं ह।

सारणी क्रमांक दृ 3 रू सरकारी तथा निजी वि4ालया क माध्यमिक अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवत्ति का दशान वाला टी.अनपात

पतिदश आधार	पतिदश सख्या	मध्यमान (ड)	मानक विचलन (क)	टी.अनपात
सरकारी अध्यापक	50	11.90	10.61	0.297′
निजी अध्यापक	50	101.48	8.64	

सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपराक्त सारणी क अवलाकन स स्पष्ट ह कि सरकारी वि4ालया क माध्यमिक अध्यापका का मध्यमान 100.90 तथा मानक विचलन 11.61 ह और निजी वि4ालया क पाथमिक अध्यापका का मध्यमान 101.48 तथा मानक विचलन 9.64 ह। टी. परीक्षण स पाप्त टी.अनपात 0.297 है, जा 0.05 क सथकता स्तर क

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

मूल्य 1.98 से कम है। अतरू सरकारी तथा निजी विद्यालयों के माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी विद्यालय के माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति मकें सार्थक अंतर नहीं है। अतरू इससे स्पष्ट है कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों के माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है। परिकल्पना द्ध 3 रू सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरूष माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक द्ध 4 रू सरकारी तथा निजी विद्यालय के पुरूष माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (ड)	मानक विचलन (क)	टी.अनुपात
सरकारी पुरूष अध्यापक	30	100.93	12.36	0.895′
निजी पुरूष अध्यापक	30	101.5	9.73	

सार्थकता स्तर 0.05 पर

सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के पुरूष माध्यमिक अध्यापकों का मध्यमान 100.93 तथा मानक विचलन 12.36 है तथा निजी विद्यालयों के पुरूष माध्यमिक अध्यापकों का मध्यमान 110.5 तथा मानक विचलन 9.73 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.895 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतरू सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरूष माध्यमिक

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति मके कोई सार्थक अतर नहीं हैं, स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी विद्यालयो के परूष माध्यमिक अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति में सार्थक अतर नहीं है। अतरू इससे स्पष्ट है कि सरकारी तथा निजी विद्यालयो के परूष माध्यमिक अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना दृ 4 रू सरकारी तथा निजी विद्यालयो की महिला माध्यमिक अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अतर नहीं है।

सारणी क्रमांक दृ 5रू सरकारी तथा निजी विद्यालयो की महिला माध्यमिक अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

पतिदर्श आधार	पतिदर्श संख्या	मध्यमान (ड)	मानक विचलन ँ(क)	टी.अनुपात
सरकारी महिला अध्यापक	20	100.87	10.80	0.532'
निजी महिला अध्यापक	20	101.97	9.54	

सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपयुक्त सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयो की महिला अध्यापको का मध्यमान 100.87 तथा मानक विचलन 10.80 है तथा निजी माध्यमिक विद्यालयो की महिला अध्यापको का मध्यमान 101.97 तथा मानक विचलन 9.54 है। टी.परीक्षण से पाप्त टी.अनुपात 0.532 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतरू शून्य परिकल्पना सरकारी तथा निजी विद्यालयो की महिला माध्यमिक अध्यापको की समावेशी शिक्षा के पति अभिवृत्ति के कोई सार्थक अतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

इस परिकल्पना का विश्लेषण करक यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी वि4ालयो क महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति म सार्थक अतर नहीं ह। अतरू इससे स्पष्ट ह कि सरकारी तथा निजी वि4ालयो क महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति समान ह।

परिकल्पना दृ 5 रू सरकारी वि4ालयो क पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति में कोइ सार्थक अतर नहीं है।

सारणी क्रमांक दृ 6रू सरकारी वि4ालयो क पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनपात

पतिदश आधार	पतिदश सख्या	मध्यमान (ड)	मानक विचलन (व)	टी.अनपात
सरकारी पुरूष अध्यापक	30	100.93	12.36	1.98′
सरकारी महिला अध्यापक	30	113.87	10.80	

सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपयुक्त सारणी क्रमांक 6 स स्पष्ट ह कि सरकारी वि4ालयो क पुरूष माध्यमिक अध्यापको का मध्यमान 100.93 तथा मानक विचलन 12.36 ह तथा सरकारी वि4ालयो की महिला माध्यमिक अध्यापको का मध्यमान 113.87 तथा मानक विचलन 10.80 है। टी.परीक्षण स पाप्त टी.अनपात 0.1.98 है, जो 0.05 क सार्थकता स्तर क मूल्य 2.04 स कम ह। अतरू शून्य परिकल्पना सरकारी वि4ालयो क पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति क कोइ सार्थक अतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करक यह पाया गया कि सरकारी वि4ालयो क पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापको की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति म सार्थक अतर नहीं ह। अतरू इससे स्पष्ट ह कि सरकारी वि4ालयो क पुरूष

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना दृ 6 रू निजी विद्यालयों के पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक दृ 7 रू निजी विद्यालयों के पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (ड)	मानक विचलन (क)	टी.अनुपात
निजी पुरूष अध्यापक	30	115.5	9.73	0.791'
निजी महिला अध्यापक	30	116.47	9.54	

सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 7 से स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के पुरूष माध्यमिक अध्यापकों का मध्यमान 115.5 तथा मानक विचलन 9.73 है तथा निजी विद्यालयों की महिला माध्यमिक अध्यापकों का मध्यमान 116.47 तथा मानक विचलन 9.54 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.791 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतरू शून्य परिकल्पना निजी विद्यालयों के पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि निजी विद्यालयों के पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतरू इससे स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के पुरूष तथा महिला माध्यमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिणामा की चर्चा रू

शोध में पाया गया कि अधिकतम अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति सामान्य व उससे अच्छी है। बला, पुरस्कार एव एम. अनीता (2008) ने भी अपन शोध में पाया कि समावशी शिक्षा क पति अध्यापका की अभिवृत्ति सामान्य रूप से सकारात्मक है। अमित (2017) ने भी अपन अध्ययन में पाया कि शहरी शिक्षका तथा शिक्षिकाओ में समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति समान है। पस्तुत शोध में पाया गया कि पुरूष माध्यमिक अध्यापका की तुलना में महिला माध्यमिक अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति अच्छी है। इसी तरह जान (2017) एव सुमिमा व आचाय (2010) ने भी अपन अध्ययन में पाया कि पुरूष अध्यापका की तुलना में महिला अध्यापका की समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति अधिक अच्छी है। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि महिलाओ का पोषणकता और भावात्मक दखभाल क पदाताओ क रूप में दखा जाता है, महिला अध्यापक बालका क मनावज्ञानिक तथा व्यावहारिक पक्ष का पुरूष अध्यापका की तुलना में ज्यादा ठीक तरीक से समझती है तथा इनका समाज और बालका क मातादृपिता से 'ानिष्ठ सम्बन्ध होता है। य बालका क सहपाठयक्रम में भी पुरूष अध्यापका की तुलना में ज्यादा सहयाग पदान करती

हैं, जबकि पुरूष अध्यापक सिफ पशासनिक कार्या पर ज्यादा ध्यान दत है। इस वजह से समावशी शिक्षा क तरत सभी बच्चा का एक दृष्टि से दख पाती है और पुरूषा की अपक्षा अधिक समावश कर पाती हैं।

पस्तुत शाधदृपत्र का पमुख उददश्य माध्यमिक वि4ालय क शिक्षक तथा शिक्षिकाओ में समावशी शिक्षा क पति अभिवृत्ति का अध्ययन करना था तथा शोध क परिणामा क आधार पर निहिताथ यह निकलता है कि सरकारी तथा निजी माध्यमिक वि4ालय क अध्यापका का समावशी शिक्षा क पति जागरूक किया

जाए। वि4ालया में जा शिक्षक काफी समय से शिक्षण काय कर रहे हैं उन्हे

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

पशिक्षण पदान किया जाए जिससे वह यह जान सके कि कैसे विशिष्ट बालकों को भी सामान्य कक्षा में, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पदान की जाए, उनमें इस भावना का विकास किया जाए कि वह विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों की तरह ही समझे तथा उनमें हुए कौशल को जाने और उन्हें निखारने का योगदान पदान करें। माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं के मनोभाव, व्यवहार और उनकी आवश्यकताओं को महिला अध्यापकों को समावेशी शिक्षा का पशिक्षण पदान किया जाए जिससे वह सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी पढ़ा सके और सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दे सकें। पस्तुत शोध में परिणाम पाप्त हुआ है कि 10.83 पतिशत अध्यापक सामान्य अभिवृत्ति को पशिक्षण दिया जाएगा तो इनमें समावेशन के पति अभिवृत्ति बढ़ेगी, परिणामस्वरूप समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पाप्त करने में सहायता होगी।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,